FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

पखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

बनाम
राजेन्द्र प्रसाद बनाम् मालीराम वगै0
दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड .... सन्
नवीन वाद मुकदमा नं0 —1/2018

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
.2018	वादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बोदूराम समस्त जाति जाट निवासी घाटमदासवाली ग्राम पंचायत नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर ने जरिये अधिवक्ता श्री रक्षपाल स्वामी एडवोकेट के उपस्थित होकर न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–नाथूसर के अटल सेवा केन्द्र में नवीन वाद पत्र बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड का पेश किया। वादपत्र में दर्ज वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया। दौराने शिविर उपस्थित वादी की पहचान श्री रक्षपाल स्वामी एडवोकेट ने की एंव उपस्थित प्रतिवादीगण पक्षकारान् की पहचान श्रीमती सुशिला देवी सरपंच ग्राम पंचायत नाथूसर ने की। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी नम्बर 4 की ओर से उपस्थित तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भूमिधारी तहसीलदार के औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 509/2, 510/2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.86 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम घाटमदासवाली में स्थित है। जिसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा भूमि खसरा नम्बर 507 रकबा 0.04 हैक्टर में 1/12 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आपस में सगे भाई है तथा अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियों पर हिस्सानुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी का वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बोदूराम है तथा वादी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एंव ग्राम घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित अन्य कृषि भूमियों की	राजेन्द्र प्रसाद पहचाना (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) सुशीला सरपंच ग्राम पंचायत नाथूसर प.स. श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

राजेन्द्र प्रसाद बनाम मालीराम वगैरा
दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड
नवीन वाद मुकदमा नं0– /2018

खातेदारी में वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बोदूराम ही दर्ज है परन्तु मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी में राजू पुत्र बोदूराम दर्ज हो गया जो वादी को घर पर राजू के नाम से पुकारने के कारण सहवन से दर्ज हो गया। वादी का नाम राजू पुत्र बोदूराम अंकित हो जाने से राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं एंव किसान केडिट कार्ड बनवाने में परेशानी हो रही है। इसलिए राजू पुत्र बोदूराम के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बोदूराम घोषित किया जाकर दुरूस्त कराने हेतु वादपत्र पेश किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दौराने शिविर में ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर से राजस्व रिकार्ड के पुराने व नये रिकार्ड का मिलान किया गया तथा शिविर के दौरान उपस्थित जन समूह से प्रकरण के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 4 भूमिधारी तहसीलदार के औपचारिक पक्षकार होने तथा जवाब का मोहताज नहीं होने बाबत अवगत कराया। इस पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 –दो, 2067 से 2070 –तीन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आधार कार्ड व परिवार राशनकार्ड की प्रति से वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बोदूराम होना स्पष्ट प्रकट होता है। जो पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा से भी साबित होता है। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र से पूर्णरूपेण सहमत होते हुए वादीगण के पक्ष में राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से राजीनामा भी पेश कर वादपत्र का समर्थन किया है एंव वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा बरूये राजीनामा ही प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से चाहने हेतु वादपत्र वादी द्वारा पेश किया गया है। जिस पर समस्त पक्षकारान् ने अपनी–अपनी सहमती व्यक्त किया जाना स्पष्ट प्रकट होता है।

प्रकरण में समस्त पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण का राजस्व लोक अदालत में मौके पर ही न्याय हित में लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

राजेन्द्र प्रसाद बनाम मालीराम वगै0
दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड
नवीन वाद मुकदमा नं0–79/2018

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर दावा मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजीनामा दिनांक 20.06.2018 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी भॉति पर्चा डिक्री जारी हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर अटल सेवा केन्द्र–नाथूसर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रहमलाल जाट)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–नाथूसर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner